

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

वन संरक्षक/व.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम	:	कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण कार्य।		
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	:	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.कोण्डागांव संभाग, जिला कोण्डागांव छत्तीसगढ़		
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	:	कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु।		
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कोण्डागांव	दक्षिण कोण्डागांव	संरक्षित वन भूमि पी-794, 795, 777 एवं आर.एफ. 793 में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित।
5. वन भूमि का विस्तृत विवरण	:	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
(क) आरक्षित वन	:	चिखलपुटी	RF 793	3.999
		योग :	1	3.999
(ख) सीमांकित संरक्षित वन	:	कोण्डागांव	PF 794	2.548
		—" —</td <td>PF 795</td> <td>2.522</td>	PF 795	2.522
		संबलपुर	PF 777	0.235
		योग :	3	5.305
		कुल योग :	4	9.304
(ग) असीमांकित संरक्षित वन	:	—	—	—
(घ) राजस्व वन क्षेत्र	:	—	—	—
6. आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान साईट क्वालिटी	:	साल/मिश्रित		
	:	III, VB, IV "A" IV "B"		
	:	घनत्व 0.2 से 0.6		
7. आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों का विवरण	:	साल	59	
		साजा	31	
		बिजा	31	
		सागौन	11	
		हल्दु	2	
		धावड़ा	7	
		अन्य	180	
		योग :	321	
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	:	अति उत्तम (प्रचुर)		
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	:	राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ते हुये कोण्डागांव बाईपास मार्ग का निर्माण।		

10	Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारतसरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	प्रस्तावि क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं

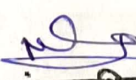
प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : उपरोक्तानुसार।

दिनांक : 30/06/2022


वन परिक्षेत्र
दहीकोंगा परिक्षेत्र


उपवनमंडलाधिकारी
पूर्व कोंडागांव उपवनमंडल
कोंडागांव


वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमण्डल
कोंडागांव



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

स्थल निरीक्षण प्रमाण - पत्र

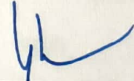
प्रमाणित किया जाता है कि, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में स्थित संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ. 794,777,795 एवं आर.एफ. 793 में से रकबा 9.304 हे. में कोंडागांव बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य के लिये प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 30/06/2022 को मेरे द्वारा किया गया। बिन्दु क्रमांक (xi) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के वनस्पति एवं वन्य जीव नहीं हैं तथा बिन्दु क्रमांक (xii) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित नहीं है।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोंडागांव संभाग, जिला कोंडागांव (छ.ग.) के द्वारा कोंडागांव बाईपास मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि 9.304 हेक्टेयर परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ. 794, 777,795 एवं आर.एफ. 793 में से रकबा 9.304 हे. के प्रस्तावित स्थल में कुल 321 मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 0.2 से 0.6 तक तथा स्थल गुणी श्रेणी के हैं एवं प्रस्तावित स्थल की दशा प्रायः रेतीली दूमट एवं कंकरीली है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

कोंडागांव जिले के तहसील कोंडागांव में स्थित संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ. 794, 777,795 एवं आर.एफ. 793 में कोंडागांव बाईपास मार्ग निर्माण होने से जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग -30 के चौड़ीकरण पश्चात यातायात साधनों के वृद्धि होने से सड़क दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावना बनी रहती है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बचने एवं आम जनताओं के आवागमन हेतु कोंडागांव बाईपास मार्ग का उपयोग किया जाना अतिसुविधा होगी।

अतः प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि में कोंडागांव बाईपास मार्ग निर्माण के लिए दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


उत्तम कुमार गुप्ता
(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

